राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001 दूरभाष 0141-2374644

क्रमांकः-एफ-4/मु./यात्रा/लेखा (109)/2024/76 दिनांकः-31/07/2024

कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव (परिवहन), परिवहन एंव सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प 17(16) परि/2009(6150) जयपुर दिनांक 26.07.2024 द्वारा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162401436 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त, "रक्षाबन्धन पर्व दिनांक 19 अगस्त, 2024 के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की" प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राप्त स्वीकृति की अनुपालना में **रक्षाबन्धन पर्व दिनांक "19.08.2024" के दिन (केवल एक दिन)** हेतु प्रदेश में विभिन्न मार्गो पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में प्रदेश की समस्त महिलाओं/बालिकाओं को राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रक वितरक/परिचालक इस दिवस हेतु राज्य की सीमा में समस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा टिकिट जारी करेगें। परिचालक, E.T.I.M.(Electronic Ticket Issuing Machine) से टिकिट जारी करेगें तथा E.T.I.M.(Electronic Ticket Issuing Machine)के किन्ही कारणों से क्रियाशील नही होने पर निःशुल्क/रियायती टिकट बुक से टिकिट जारी करेगे तथा टिकिट पर "महिला/बालिका यात्री" एवम् दिनांक अंकित करेगे। पत्रक वितरकों/परिचालकों द्वारा इस एक दिवस के लिये निःशुल्क यात्रा के लिये टिकिट जारी करने में एकरूपता रखने के उद्धेश्य से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है:-

1. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल दिनांक 19.08.2024(एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य **कलेण्डर दिवस (दिनांक 19 अगस्त 2024 को प्रातः 00.00 बजे से रात्रि 23.59 बजे तक) होगा।**
2. इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी देय होगी।
3. वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देय नही होगी तथा अन्य श्रेंणी की बसों में निःशुल्क यात्रा केवल **राजस्थान राज्य क्षेत्र सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक** मान्य होगी।
4. इस दिन हेतु निगम की बसो में निःशुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की वास्तविक संख्या का अभिलेख संधारित किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)

RajKaj Ref
9370031

क्रमांकः–एफ–4 / मु0 / याता. / लेखा(109) / 2024 / 76 दिनांकः– 31/07/2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
6. महा प्रबन्धक / सयुक्त महा प्रबन्धक / उप महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
7. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी) / (आई.टी.) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर, उक्त के लिए E.T.I.M. / Computer programme में टिकिट जारी करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इस आदेश को निगम बेवसाईट पर भी उपलब्ध करावें निःशुल्क यात्रा के वित्तीय भार की संकलित सूचना से अवगत करावे।
8. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) / निगम सचिव, रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
9. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें।
10. लेखाधिकारी (टिकिट) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
11. समस्त मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प.नि. .... आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं रियायती टिकिटों के संबंध में प्रक्रिया एवं रिकार्ड के संधारण से संबंधितकार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों / परिचालकों एवम् सभी संबंधितों को इस संबंध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। रक्षाबन्धन पर्व वर्ष–2024 (दिनांक 19.08.2024) को प्रदत निःशुल्क यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की सूचना प्रपत्र 'क' (पृष्ठ भाग पर) में उप महा प्रबन्धक (साख्यिकी) मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक रूप से दिनांक 27.08.2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।